9

कर का भुगतान
[PAYMENT OF TAX]

सीखने का परिणाम (Learning Outcomes)
इस अध्याय के पढ़ने के बाद आप कर पाएंगे : ❑ करदाता द्वारा बनाए रखने के लिए तीन प्रकार के खाताबही/रजिस्टर का वर्णन करें–इलेक्ट्रॉनिक नगदी खाताबही, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही और इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर। ❑ क्रेडिट का पार उपयोग करने की कार्यप्रणाली को समझें। ❑ कालानुक्रमिक क्रम को समझें तथा लागू करें जिसमें एक करयोग्य व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन किया जाना है। ❑ उन परिस्थितियों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना जिनमें दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है। ❑ केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच इनपुट कर क्रेडिट के लिए हस्तांतरण की प्रक्रिया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय अवलोकन

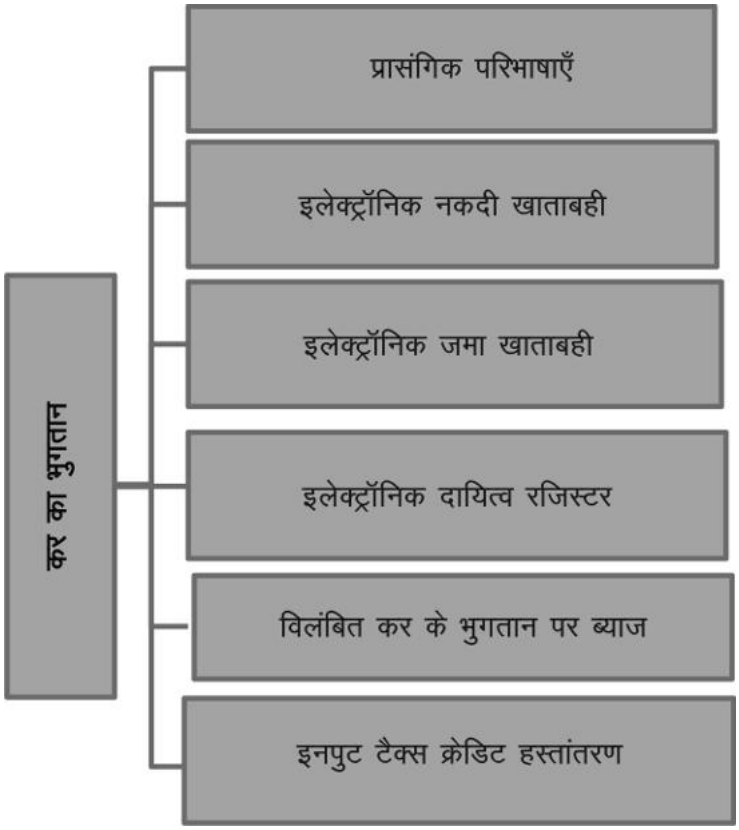

1. परिचय (Introduction)

जी. एस. टी. शासन में किसी भी अन्तर्राज्यीय आपूर्ति के लिए, भुगतान किए जाने वाले कर हैं। केन्द्रीय जी. एस. टी. (CGST), जो केन्द्र सरकार के खाते में जा रहा है तथा राज्य जी. एस. टी. (SGST)/UGST संबंधित राज्य सरकार के खाते में जा रहा है। किसी भी अन्तर्राज्यीय आपूर्ति के लिए, चुकाए जाने वाले कर को एकीकृत आई जी. एस. टी. (IGST) किया जाता है जिसमें CGST तथा SGST दोनों के घटक होंगे। इसके अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए स्रोत पर काटे गए कर पर (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह पर (TCS)[1] सरकार के खाते में भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त, जहाँ भी लागू हो, ब्याज, जुर्माना, फीस और कोई अन्य भुगतान भी करना होगा।

[1] यह ध्यान दिया जा सकता है कि TDS & TCS से सम्बन्धित प्रावधानों पर आधारित धाराएं 51 व 52 अन्तिम स्तर पर विस्तार से समझाए जाएंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ई–खाताबही की शुरुआत जीएसटी शासन के तहत एक अनूठी विशेषता है। इलेक्ट्रॉनिक खाताबही या ई–खाताबही प्रत्येक पंजीकृत करदाता के सम्बन्ध में नकदी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण हैं इसके अलावा, प्रत्येक करदाता के पास एक इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर भी होना चाहिए। एक बार जब एक करदाता आम पोर्टल (GSTN) पर पंजीकृत होता है, तो दो ई–खाताबही (और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर) तथा एक इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर स्वचालित रूप से खोला जाएगा तथा हर समय उसके डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

CGST अधिनियम के अध्याय X में धारा 49 से 53 तक के कर के भुगतान से सम्बन्धित प्रावधानों को निर्धारित किया गया है। जबकि धारा 49 में 3 बही–खातों की चर्चा की गई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक खाताबही, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही तथा इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर, धारा 50 में कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के बारे में चर्चा की गई है। धारा 51 उन परिस्थितियों को व्यक्त करता है। जिसमें स्रोतों पर कर कटौती (TDS) अनिवार्य हो जाती है। धारा 52 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा स्रोत पर कर संग्रह (TCS) किए जाने की परिस्थितियों से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त धारा 53 में ITC के हस्तांतरण का तरीका निर्धारित किया गया है।

CGST नियमों के अध्याय IX कर के भुगतान से सम्बन्धित प्रावधानों से आधारित है।

CGST अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के प्रावधान भी IGST अधिनियम की धारा 20 के साथ IGST अधिनियम के तहत लागू किए गए हैं।

धारा 49, 50, 53 के प्रावधानों को समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले, आइए हम पहले कुछ प्रासंगिक परिभाषाओं से गुजरें।

2. प्रासंगिक परिभाषाएँ (Relevant Definitions)

- **एजेंट** (agent) का अर्थ है एक व्यक्ति, जिसमें एक कारक, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अर्हता, *डेल क्रेडेर एजेंट*, एक नीलामकर्ता या कोई अन्य व्यापारिक एजेंट, जो भी नाम से पुकारा जाता है, जो माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति या दोनों की ओर से किया जाता है। [धारा 2(5)]

- **प्राधिकृत बैंक** (Authorised bank) का अर्थ है बैंक या बैंक की शाखा, सरकार द्वारा अधिकृत देय कर या किसी अन्य राशि को एकत्रित करने के लिए इस अधिनियम के [धारा 2(14)] के तहत।

- **व्यवसाय** (Business) में शामिल है

  (a) कोई भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशा, व्यवसाय, साहसिक कार्य, दांव या कोई अन्य सामान्य सक्रिया, चाहे वे एक आर्थिक लाभ के लिए है या नहीं;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) किसी भी सक्रिया या लेन–देन के सम्बन्ध में या आकस्मिक या अधीनस्थ में उप–धारा (a) के लिए;

(c) उप–धारा (a) की प्रकृति में कोई सक्रिया या लेनदेन, चाहे वहां पर उस लेनदेन में मात्रा, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या नहीं;

(d) व्यवसाय शुरू करने या बंद करने के सम्बन्ध में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं सहित माल की आपूर्ति या अधिग्रहण;

(e) एक क्लब, एसोसिएशन, समाज, या ऐसे किसी निकाय द्वारा प्रावधान (सदस्यता या किसी अन्य विचार के लिए) अपने सदस्यों को सुविधाओं या लाभों के लिए;

(f) प्रवेश, व्यक्तियों के विचार के लिए, किसी भी परिसर में;

(g) किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्यालय के धारक के रूप में दी गई सेवाएं जिसे उसके द्वारा अपने व्यापार, पेशे या व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार किया गया हो;

(h) **कुल मिलाकर ऐसे क्लब में बुक निर्माता के लिए लाइसेंस के माध्यम से दौड़ क्लब द्वारा प्रदान की गई सेवाएं; तथा**

(i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई कोई कार्य भी गतिविधि या लेन–देन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के जैसे लगे हुए हैं [धारा 2 (17)]।

- **केन्द्रीय कर** (Central tax) का मतलब है धारा 9 के अन्तर्गत लगाया जाने वाला केन्द्रीय सामान और सेवा कर। [धारा 2 (21)]।
- **सामान्य पोर्टल** (Common portal) का अर्थ है आम वस्तु और सेवाकर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जिसे धारा 146 [धारा 2 (26)] में संदर्भित किया गया है।
- **परिषद्** (Council) का अर्थ है, वस्तु एवं सेवाकर परिषद् जो संविधान के अनुच्छेद 279 (A) [धारा 2 (36)] के अन्तर्गत स्थापित किया गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही** (Electronic cash ledger) का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही धारा 49 [धारा 2 (43)] की उपधारा (1) में संदर्भित।
- **इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही** (Electronic credit ledger) का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही धारा 49 [धारा 2 (46)] की उपधारा (2) में संदर्भित।
- **एकीकृत कर** (Integrated Tax) का अर्थ है एकीकृत वस्तु और सेवाकर अधिनियम [धारा 2 (58)] के अन्तर्गत लगाया गया एकीकृत माल या सेवाकर ।
- **इनपुट कर** (Input tax) किसी पंजीकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में, का अर्थ है केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या केन्द्र शासित क्षेत्र कर, किसी वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है इसमें शामिल हैं–
  - ✓ माल के आयात पर लगाया गया एकीकृत माल तथा सेवाकर;
  - ✓ धारा 9 की उप–धारा (3) तथा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर;

© The Institute of Chartered Accountants of India

- ✓ IGST अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) तथा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर;
- ✓ सम्बन्धित राज्य माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) तथा उप–धारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर; या
- ✓ केन्द्र शासित माल तथा सेवाकर अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3) तथा उप–धारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत देय कर,

लेकिन कम्पोजिशन लेवी [धारा 2 (62)] के अन्तर्गत चुकाए गए कर को शामिल नहीं करता है।

- ➢ **इनपुट कर क्रेडिट** (Input tax credit) का अर्थ इनपुट कर का क्रेडिट [धारा 2 (63)]।
- ➢ **स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ है–**
  - ✓ संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (d) में परिभाषित एक "पंचायत";
  - ✓ संविधान के अनुच्छेद 243 p के खण्ड (e) में परिभाषित "नगर पालिका";
  - ✓ एक नगर पालिका समिति, एक जिला परिषद्, एक जिला बोर्ड और किसी भी अन्य प्राधिकरण को कानूनी रूप से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियत्रंण या;
  - ✓ प्रबंधन के लिए अधिकार दिया जाता है या सौंपा जाता है;
  - ✓ एक छावनी बोर्ड, जिसे छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में परिभाषित किया गया है;
  - ✓ संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत एक क्षेत्रीय परिषद् या जिला परिषद् का गठन।
  - ✓ संविधान के अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371J के अन्तर्गत एक विकास बोर्ड का गठन; या
  - ✓ एक क्षेत्रीय परिषद् का गठन संविधान के अनुच्छेद 371A के अन्तर्गत किया गया [धारा 2 (69)]।
- ➢ **अधिसूचना** (Notification) का अर्थ है, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना और "अधिसूचित" और "अधिसूचित" तदनुसार नियत किया जाएगा। [धारा 2 (80)]।
- ➢ **आउटपुट कर** (Output Tax) : एक कर योग्य व्यक्ति के सम्बन्ध में अर्थ है, इस अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति पर या उसके द्वारा किए गए दोनों पर या उसके एजेंट पर कर प्रभार्य, लेकिन रिवर्स चार्ज के आधार पर उसके द्वारा देय कर को बाहर करता है। [धारा 2 (82)]।
- ➢ **व्यक्ति में सम्मिलित है** :
  - (a) एक व्यक्ति;
  - (b) एक हिन्दू अविभाजित परिवार;
  - (c) एक कम्पनी;
  - (d) एक फर्म;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(e) एक सीमित दायित्व साझेदारी;

(f) व्यक्तियों का एक समूह या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे वह शामिल हो या नहीं, भारत में या भारत के बाहर;

(g) किसी भी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी निगम की स्थापना या एक सरकारी कम्पनी के रूप में परिभाषित खण्ड (45) की धारा 2 में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत;

(h) किसी भी निकाय निगमित द्वारा या भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के तहत;

(i) सहकारी समिति से सम्बन्धित किसी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत एक सहकारी समिति;

(j) एक स्थानीय प्राधिकारी;

(k) केन्द्र सरकार या एक राज्य सरकार;

(l) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत परिभाषित संस्था;

(m) ट्रस्ट; तथा

(n) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, उपर्युक्त में से किसी के साथ सम्मिलित ना हो (धारा 2 (84)।

- माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्ति के प्राप्तकर्ता का अर्थ :

(a) जहाँ माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए प्रतिफल देय है, जो व्यक्ति उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;

(b) जहाँ माल की आपूर्ति के लिए कोई भी प्रतिफल देय नहीं है, जिस व्यक्ति को माल पहुंचाया या उपलब्ध कराया गया है, या जिस पर माल का अधिकार या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है; तथा

(c) जहां किसी सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे सेवा प्रदान की गई है,

और जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है उसका कोई भी सन्दर्भ आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के सन्दर्भ के रूप में माना जाएगा और इसमें माल या सेवाओं या आपूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करने वाला एक एजेंट शामिल होगा। [धारा 2 (93)]

- **राज्य कर** (State Tax) का अर्थ है किसी भी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत लगाए गया कर [धारा 2 (104)]।
- **Supplier** in relation to any goods or services or both, shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied [Section 2(105)].
- **कर योग्य व्यक्ति** (Taxable Person) का अर्थ है वह व्यक्ति जो पंजीकृत हो या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी हो धारा 22 या धारा 24 के अन्तर्गत [धारा 2 (107)] ।
- **वैध विवरणी** का अर्थ है, धारा 39 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत दिया गया रिटर्न, जिस पर स्व–मूल्यांकन कर का भुगतान पूर्ण [धारा 2 (117)] में किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस अध्याय से सम्बन्धित विभिन्न परिभाषाओं को जानने के बाद, आइए चर्चा करते हैं (CGST) अधिनियम के अध्याय X के प्रावधान की।

3. कर, ब्याज, जुर्माना तथा अन्य मूल्यों का भुगतान (धारा 49) [Payment of Tax, Interest, Penalty and Other Amounts (Section 49)]

वैधानिक प्रावधान

धारा 49	कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य मूल्यों का भुगतान	
उप–धारा	खण्ड	विवरण
(1)		किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष स्थानांतरण या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द्वारा या ऐसी अन्य स्थितियों और प्रतिबंधों के आधार पर कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य मूल्य के लिए की गई प्रत्येक जमा राशि, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नगदी खाताबही में इस तरह से जमा किया जाएगा जिस तरह से निर्धारित किया गया है।
(2)		किसी पंजीकृत व्यक्ति के विवरण में स्वः मूल्यांकन के रूप में इनपुट कर क्रेडिट को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाताबही में धारा 41 के अनुसार जिस तरह से निर्धारित किया गया है, उसी तरह जमा किया जाएगा।
(3)		इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में उपलब्ध मूल्य का उपयोग कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या इस अधिनियम के प्रवाधानों के अन्तर्गत देय किसी भी अन्य राशि या इस तरह से और इस तरह की शर्तों के अधीन नियमों के तहत और निर्धारित समय के भीतर उपयोग किया जा सकता है।
(4)		इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम के तहत या इस तरह की शर्तों के अधीन और इस तरह से निर्धारित समय के भीतर और इस तरह के अधीन एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम के तहत उत्पादन कर के लिए किसी भी भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
(5)		पंजीकृत व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट की राशि को–
	(a)	एकीकृत कर पहले एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा और यदि कोई राशि शेष हो, तो केन्द्रीय कर और राज्य कर के भुगतान की ओर उपयोग किया जा सकता है, या जैसा कि उस क्रम में, केन्द्रीय शासित कर, हो सकता है;
	(b)	केन्द्रीय कर का उपयोग पहले केन्द्रीय कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा और यदि कोई राशि शेष हो, तो एकीकृत कर के भुगतान की ओर उपयोग किया जा सकता है;

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(c)	राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा और यदि कोई राशि शेष हो, तो एकीकृत कर के भुगतान की ओर उपयोग किया जा सकता है; **बशर्ते कि राज्य कर के खाते पर इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान की ओर किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के खाते पर इनपुट कर क्रेडिट का संतुलन एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है।**
	(d)	केन्द्र शासित कर का उपयोग पहले केन्द्र शासित कर के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा और यदि कोई राशि शेष हो, तो, एकीकृत कर के भुगतान की ओर उपयोग किया जा सकता है; **बशर्ते कि केन्द्र शासित कर के खाते पर इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान की ओर किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के खाते पर इनपुट कर क्रेडिट का संतुलन एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं है।**
	(e)	केन्द्रीय कर का उपयोग राज्य कर या केन्द्र शासित कर के भुगतान की ओर नहीं किया जाएगा; तथा
	(f)	केन्द्रीय कर के भुगतान के लिए राज्य कर या केन्द्र शासित कर उपयोग नहीं किया जाएगा।
(6)	इस अधिनियम के तहत या इसके तहत नियमों के अन्तर्गत देय कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य मूल्य के भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक नगदी खाताबही या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में शेष राशि को धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार वापस किया जा सकता है।	
(7)	इस अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य व्यक्ति की सभी देनदारियों को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में इस तरह से दर्ज और बनाए रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।	
(8)	प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर और अन्य बकाए का निर्वहन करेगा या इसके अन्तर्गत नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित के अनुसार करेगा, अर्थात्:	
	(a)	स्वःमूल्यांकन कर और अन्य बकाया गत कर अवधियों के विवरण से सम्बन्धित;
	(b)	स्वःमूल्यांकन कर और अन्य बकाया वर्तमान कर अवधियों के विवरण से सम्बन्धित;
	(c)	इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके तहत नियमों के अन्तर्गत किसी भी अन्य देय राशि, धारा 73 और धारा 74 के अन्तर्गत निर्धारित की गई मांग सहित;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(9)	प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के तहत माल या सेवाओं या दोनों पर कर का भुगतान किया है, जब तक कि उसके द्वारा विपरीत साबित नहीं किया जाता है, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता को इस तरह के कर का पूर्ण भार माना जाता है।
स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए–	
	(a) प्राधिकृत बैंक में सरकारी खाते में जमा राशि की तारीख को इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में जमा करने की तारीख को माना जाएगा।
	(b) अभिव्यक्ति;
	(i) "कर बकाया" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर और इसमें ब्याज, शुल्क और जुर्माना शामिल नहीं है; तथा
	(ii) "अन्य बकाया" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत है देय ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि से
अध्याय IX : CGST नियमों के कर का भुगतान (Chapter IX : Payment of tax of the CGST Rules)	
नियम 85	**इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर**
(1)	धारा 49 की उप–धारा (7) के अन्तर्गत निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर को प्रत्येक व्यक्ति को कर, ब्याज, दण्ड, विलम्ब शुल्क या सामान्य पोर्टल पर किसी भी अन्य मूल्य का भुगतान करने के लिए GST PMT–01 में रखा जाएगा और सभी राशियों को उस के द्वारा देय उक्त रजिस्टर में डेबिट किया जाएगा।
(2)	एक व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में डेबिट किया जाएगाः
	(a) उक्त व्यक्ति द्वारा दी गई विवरण के अनुसार देय कर, ब्याज, विलम्ब शुल्क या किसी अन्य राशि के लिए भुगतान;
	(b) कर, ब्याज, दण्ड या किसी अन्य राशि का भुगतान जो अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के अनुसरण में एक उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित या उक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित की गई हो;
	(c) धारा 42 या धारा 43 या धारा 50 के अन्तर्गत अनुपयुक्त मेल के परिणामस्वरूप देय कर तथा ब्याज की राशि; या
	(d) कोई भी ब्याज की राशि जो समय–समय पर उत्पन्न हो।
(3)	धारा 49, धारा 49A और धारा 49B के प्रावधानों के अधीन, किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उसके विवरण के अनुसार प्रत्येक देयता का भुगतान नियम 86 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही से या नियम 87 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही से किया जाएगा तथा तद्नुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4)	धारा 51 के अन्तर्गत कटौती की गयी राशि, या धारा 52 के अन्तर्गत एकत्र की गई राशि या रिवर्स चार्ज के आधार पर राशि का भुगतान या धारा 10 के तहत राशि का भुगतान, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी भी अन्य मूल्य के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत राशि का भुगतान नियमावली 87 के अनुसार बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही से होगा और तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
(5)	इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में नाम की गयी किसी भी राशि को अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत द्वारा दी गई राहत की सीमा तक कम किया जाएगा और तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर में जमा किया जाएगा।
(6)	लगाए जाने वाली राशि का जुर्माना या भुगतान आंशिक रूप से या पूरी तरह से कम हो जाएगी। जैसी भी स्थिति हो, यदि कर योग्य व्यक्ति कारण बताओ नोटिस या मांग आदेश में निर्दिष्ट कर, ब्याज और जुर्माना का भुगतान कर देता है और तदनुसार इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में जमा करा देता है।
(7)	एक पंजीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक देयता खाताबही में किसी भी विसंगति को देखने के बाद, **Form GST PMT–04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इस मामले में अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले अधिकारी को सूचित करेगा।
नियम 86	**इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही** (Electronic Credit Ledger)
(1)	आम पोर्टल पर अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट के लिए पात्र प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए **FORM GST PMT–02** में इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही बनाया जाएगा और अधिनियम के तहत इनपुट कर क्रेडिट के मुआवजे को उक्त खाताबही में जमा किया जाएगा।
(2)	इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही **धारा 49** या **धारा 49A** या **धारा 49B** के प्रावधानों के अनुसार किसी भी दायित्व के निर्वहन की सीमा तक नामे किया जाएगा।
(3)	जहां एक पंजीकृत व्यक्ति ने धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही से किसी अप्रयुक्त राशि के मुआवजे की वापसी की है, मुआवजे की सीमा तक की राशि उक्त खाताबही में नामे की जाएगी।
(4)	यदि दर्ज वापसी पूरी तरह से या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति की सीमा तक उपनियम (3) के अन्तर्गत नामे की गई राशि, उचित अधिकारी द्वारा **FORM GST PMT–03** में एक आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही को वापस जमा कर दी जाएगी।
(5)	इस अध्याय के प्रावधानों में जैसा कि बताया गया है, किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में सीधे कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी।
(6)	एक पंजीकृत व्यक्ति, अपनी इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में किसी भी विसंगति को देखने के बाद, **FORM GST PMT–04** में सामान्य पोर्टल माध्यम से, इस मामले में अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले अधिकारी को सूचित करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

व्याख्या	इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि दर्ज वापसी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि अपील अंत में खारिज कर दी गई हो या यदि मुआवजेदार उचित अधिकारी को एक वचन देता है कि वह अपील दाखिल नहीं करेगा ।
नियम 87	**इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही** (Electronic Cash Ledger)
(1)	धारा 49 की उप–धारा 1 के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही को प्रत्येक व्यक्ति के लिए **FORM GST PMT–05** में कर, ब्याज, जुर्माना, विलम्ब शुल्क या किसी अन्य मूल्य का भुगतान करने के लिए सामान्य पोर्टल पर बनाया जाएगा। जो कि जमा की गई धनराशि को जमा करने के लिए और कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क अथवा किसी अन्य मूल्य के लिए भुगतान के लिए उत्तरदायी है।
(2)	कोई भी व्यक्ति, या उसकी ओर से एक व्यक्ति, आम पोर्टल पर FORM GST PMT-06 में एक चालान बनाएगा और उसके द्वारा जमा की जाने वाली राशि का विवरण कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य मूल्य में दर्ज करेगा।
	बतर्शे कि सामान्य पोर्टल पर उत्पन्न FORM GST PMT-06 में चालान पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए मान्य होगा।
	आगे प्रदान किया गया है कि एक व्यक्ति ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस का उपयोग या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति भारत के बाहर किसी स्थान से गैर–कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता जैसा की निर्दिष्ट किया गया है। धारा 14 के एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के तहत, बोर्ड की भुगतान प्रणाली के माध्यम से भी कर सकता है अर्थात् उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखा प्रणाली की बोर्ड द्वारा अधिसूचित तिथि से।
(3)	उप–धारा (2) के अन्तर्गत जमा को निम्नलिखित माध्यमों से जमा किया जाएगा, अर्थात—
	(i) अधिकृत बैंकों के माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग;
	(ii) अधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;
	(iii) किसी भी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तान्तरण या वास्तविक समय भुगतान प्रणाली; या
	(iv) ओवर द काउंटर (OTC) का भुगतान अधिकृत बैंकों के माध्यम से नकद, चेक या मांग ड्राफ्ट द्वारा दस हजार रुपए तक प्रति चालान प्रति कर अवधि जमा कराया जा सकता है।
	बशर्ते कि दस हजार रुपए तक प्रति चालान जमा कराने का प्रतिबंध लागू नहीं होगा ओवर द काउंटर (OTC) के भुगतान के इन स्थितियों पर :
	(a) सरकारी विभाग या कोई अन्य जमाराशि व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है इस आधार पर ;

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(b)	उचित अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी किसी भी व्यक्ति से बकाया राशि वसूली के लिए अधिकृत है, चाहे पंजीकृत हो या न हो, चल या अचल सम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से की गई वसूली शामिल है;
	(c)	किसी भी जांच या प्रवर्तन गतिविधि या किसी भी तदर्थ जमा के दौरान नकदी, चेक या मांग ड्राफ्ट के माध्यम से एकत्र की गई राशि के लिए अधिकृत अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी;
		आगे प्रदान किया गया है कि एक व्यक्ति ऑनलाइन जानकारी और डेटाबेस का उपयोग या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की आपूर्ति भारत के बाहर किसी स्थान से गैर–कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है धारा 14 के एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के तहत, भी जमा कर सकता है बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पेमेंट नेटवर्क के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के माध्यम से उपनियम (2) के अन्तर्गत।
व्याख्या		इस उप–नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि चालान में दर्शाई गई किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए, कमीशन, यदि कोई है, तो इस तरह के भुगतान के सम्बन्ध में, ऐसे भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।
(4)		किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले भुगतान की आवश्यकता जो अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न एक अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर किया जाएगा।
(5)		जहाँ पर भुगतान किसी भी बैंक से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तान्तरण या वास्तविक समय भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, वहीं आम पोर्टल पर चालान के साथ जनादेश प्रपत्र उत्पन्न किया जाएगा और उसी बैंक को जमा किया जाएगा भुगतान जहां से किया जाना है।
		बशर्ते कि जनादेश प्रपत्र चालान की उत्पन्न की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।
(6)		प्राधिकृत बैंक में रखे गए संबंधित सरकारी खाते में राशि के सफल जमा पर, एकत्रित बैंक द्वारा एक चालान पहचान संख्या उत्पन्न की जाएगी और उसी को चालान में दर्शाया जाएगा।
(7)		संग्रहकर्ता बैंक से चालान पहचान संख्या प्राप्त होने पर, उक्त राशि को उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताधारक को जमा किया जाएगा, जिसकी ओर से जमा किया गया है और आम पोर्टल इस आशय की रसीद उपलब्ध कराएगा।
(8)		जहाँ संबंधित व्यक्ति का बैंक खाता, या उसकी ओर से जमा करने वाले व्यक्ति का खाता, नामे किया जाता है, लेकिन कोई चालान पहचान संख्या उत्पन्न या उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन आम पोर्टल पर सूचित नहीं की जाती है, उक्त व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से **FORM GST PMT–07** में प्रतिनिधित्व कर सकता है बैंक

© The Institute of Chartered Accountants of India

	इलेक्ट्रॉनिक गेटवे के लिए आम पोर्टल के माध्यम से जिसके माध्यम से जमा शुरू किया गया हो।
(9)	धारा 51 के तहत कटौती की गई राशि या धारा 52 के तहत एकत्र की गई और पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति द्वारा **FORM GSTR–02** में मुआवजा किया गया, जिसमें से उक्त राशि काटी गई या, जैसा कि एकत्र किया गया हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक नगदी खाताबही में जमा किया जाएगा। नियम 87 के प्रावधानों के अनुसार।
(10)	जहाँ किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही से किसी राशि की वापसी का मुआवजा किया है, उक्त राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में नामे किया जाएगा।
(11)	यदि मुआवजा किया गया धनवापसी पूरी तरह से या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति की सीमा तक उप–नियम (10) के अन्तर्गत नामे की गई राशि, **FORM GST PMT–03** में किए गए एक आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में जमा कराया जाता।
(12)	एक पंजीकृत व्यक्ति, उसकी इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में किसी भी विसंगति को देखने पर अधिकारी को उसी के बारे में बताएगा, **FORM GST PMT–04** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इस मामले में अधिकार क्षेत्र को सूचित किया जाएगा।
व्याख्या–1	यदि अपील अंत में खारिज कर दी जाती है, तो धनवापसी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
व्याख्या–2	इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि वापसी को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि अपील अंत में खारिज कर दी गई हो या यदि दावेदार उचित अधिकारी को एक वचन देता है कि वह अपील दायर नहीं करेगा।
नियम–88	**प्रत्येक लेन–देन के लिए पहचान संख्या** (Identification Number for each transaction)
(1)	प्रत्येक डेबिट या क्रेडिट के लिए आम पोर्टल पर एक विशिष्ट पहचान उत्पन्न की जाएगी जो इलेक्ट्रॉनिक नकदी या जमा खाताबही के रूप में मामला हो सकता है।
(2)	किसी भी दायित्व के निर्वहन से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या को इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि में इंगित किया जाएगा।
(3)	इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में प्रत्येक जमा के लिए सामान्य पोर्टल पर एक विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न की जाएगी आने वालों कारणों के अलावा उप–नियम (2) के तहत।

© The Institute of Chartered Accountants of India

विश्लेषण (Analysis)

A. इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही (धारा 49 (1) & (3) को CGST नियम 87 के साथ पढ़ें) [Electronic Cash Ledger (Section 49(1) & (3) Read with Rule 87 of CGST Rules)]

इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में करदाता द्वारा किए गए सभी जमा/भुगतान का सारांश होता है। इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही को जीएसटी पोर्टल का अनुरक्षित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

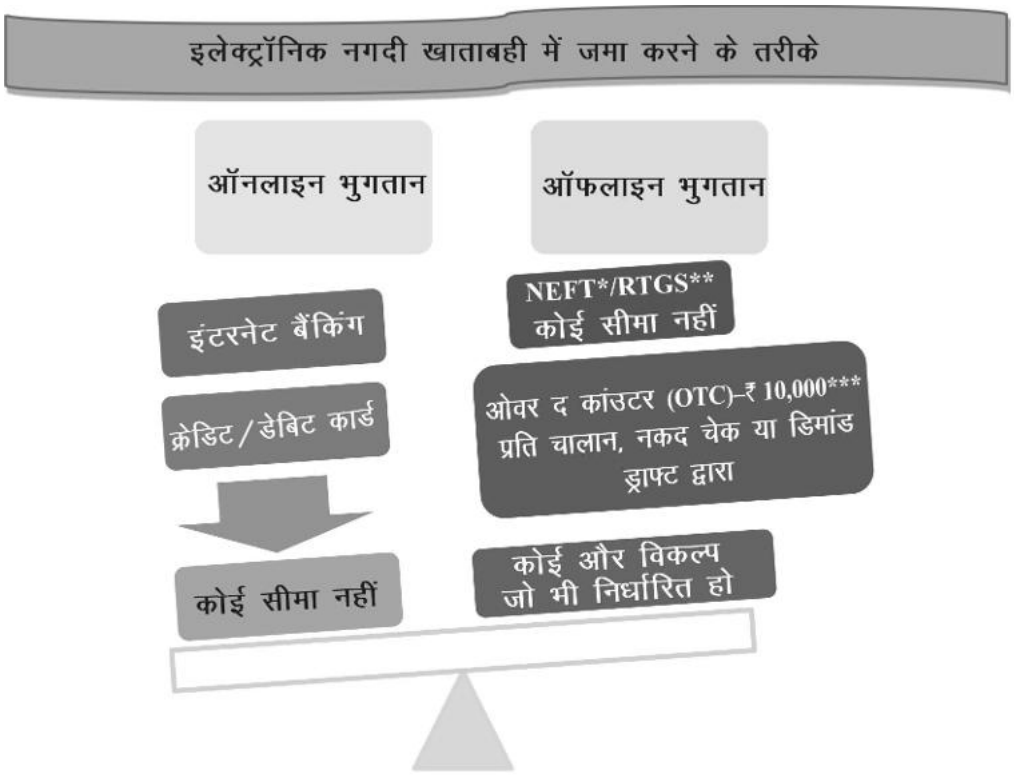

* NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है।
** RTGS का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है।
*** "ऑफलाइन भुगतानः काउंटर पर" वेब पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार कोई भी राशि https://www.gst.gov.in पर होस्ट की गई।

© The Institute of Chartered Accountants of India

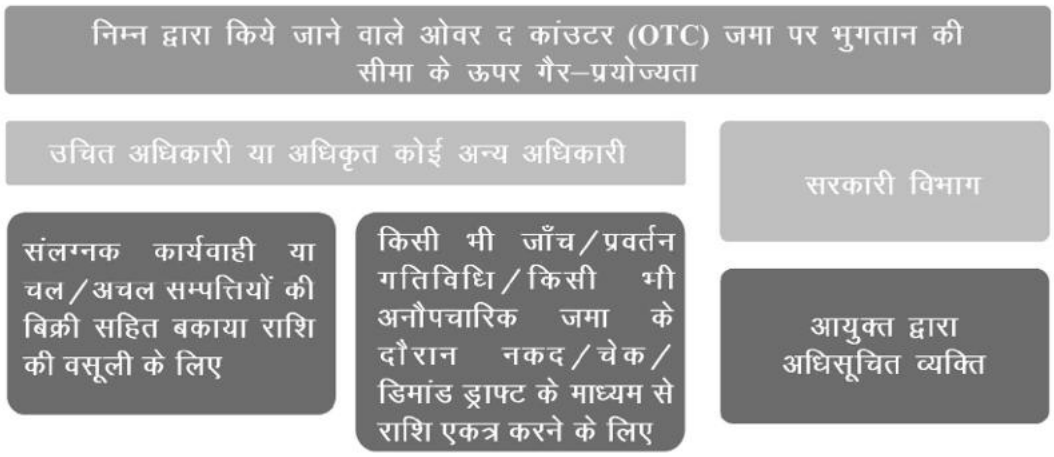

चालान द्वारा भुगतान (Payment by Challan)

- **सी. पी. आई. एन., सी. आई. एन., बी. आर. एन. तथा ई–एफ. पी. बी. क्या हैं?**
  - सी. पी. आई. एन, का मतलब कॉमन पोर्टल आइडेन्टिफिकेशन (सामान्य पोर्टल पहचान संख्या) का प्रतीक है। यह करदाता द्वारा सफलतापूर्वक उत्पन्न किए गए प्रत्येक चालान के लिए बनाया गया है। चालान की पहचान करने के लिए एक 14 अंकीय अद्वितीय संख्या है। सी. पी. आई. एन. 15 दिनों की अवधि के लिए वैध रहता है।
  - जब उत्पन्न चालान के बदले भुगतान सफल हो जाता है, तब CIN या चालान पहचान संख्या (Challan identification Number) बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह 17 अंकों का होता है जिसमें 14 अंकों का सी. पी. आई. एन. के साथ 3 अंकों का बैंक कोड है।
  - सी. आई. एन. अधिकृत बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तब उत्पन्न किया जाता है जब भुगतान वास्तव में अधिकृत बैंकों या RBI द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा उनके साथ सम्बन्धित सरकारी खाते में जमा किया जाता है। यह दर्शाता है की भुगतान वसूल कर लिया गया है और उपयुक्त सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है CIN को अधिकृत बैंक द्वारा करदाता के साथ–साथ GSTN को भी सूचित कर दिया जाता है।
  - बी. आर. एन. बैंक रिफरेन्स नम्बर (बैंक संदर्भ संख्या) एक लेनदेन संख्या है जोकि बैंक द्वारा चालान के भुगतान के लिए दिया जाता है।
  - ई–एफ. पी. बी., का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच है। ये अधिकृत बैंकों की शाखाएं हैं जो जीएसटी का भुगतान संगृहीत करने के लिए अधिकृत हैं। प्रत्येक अधिकृत बैंक पूरे भारत के लेनदेन के लिए केवल एक शाखा को अपने ई–एफपीबी के रूप में नामांकित करेगा।

    E-PFB को सभी सरकारों के लिए प्रत्येक प्रमुख शीर्षक के तहत खातों को खोलना होगा । E-PFB द्वारा जीएसटी के लिए प्राप्त राशि को E-PFB द्वारा रखे गए उचित

© The Institute of Chartered Accountants of India

खाते में जमा किया जाएगा। NEFT/RTGS लेनदेन के लिए, (RBI) E-PFB के तहत कार्य करती है।

- **क्या वैट शासन में लागू मैन्युअल चालान अभी भी लागू हैं ?**
  - जी. एस. टी. शासन के अन्तर्गत मैनुअल या फिजीकल चालान की अनुमति नहीं है। जी. एस. टी. पोर्टल पर चालान ऑनलाइन चालान जारी करना अनिवार्य है।
- **GST शासन के अन्तर्गत विभिन्न करों और भुगतानों के लिए कितने प्रकार के चालान निर्धारित हैं ?**
  - जी. एस. टी. शासन के तहत किये जाने वाले सभी करों, शुल्क, जुर्माना, ब्याज तथा अन्य भुगतानों के लिए एकल चालान निर्धारित है।

चालान से सम्बन्धित अन्य पहलू (Other Aspects Relating to Challan)

- ई–चालान की वैधता 15 दिनों के लिए है। ई–चालान के माध्यम से भुगतान करने का कमीशन भुगतान करने वाले व्यक्ति को वहन करना होगा।

चालान की वैधता 15 दिन

- किसी अपंजीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर भुगतान करना पड़ता है।
- NEFT/RTGS भुगतान करने के बाद प्राप्त अधिकृत फॉर्म बैंक में जमा करना होगा। अधिकृत फॉर्म की वैधता 15 दिनों की है।
- अधिकृत बैंक में बनाए गये संबंधित सरकारी खाते में राशि के सफलतापूर्वक जमा होने पर, संगृहीत बैंक द्वारा एक चालान पहचान संख्या (CIN) जारी की जाएगी जो चालान में भी अंकित की जाएगी।
- निर्धारित रूप में किसी भी एक तरीके से जमा की गयी राशि को करदाता के इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में आकलित कर दिया जाएगा।
- संगृहीत बैंक से CIN प्राप्त होने पर, वह व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही को आकलित किया जाएगा। जिसकी और से राशि जमा की गयी है अंततः सामान्य पोर्टल इसके परिणामस्वरूप एक रसीद जारी करेगा।
- यदि भुगतान करने और अधिकृत फॉर्म को प्रस्तुत करने के बाद भी CIN जारी नहीं होता या जारी होने के बाद सामान्य पोर्टल पर परिलक्षित नहीं होता, तो जमा करने वाला व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसकी ओर से जमा किया गया है, सामान्य पोर्टल या ई–गेटवे के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रतिनिधित्व कर सकता है। जिसके माध्यम से भुगतान किया गया है।
- राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के राजस्व में आकलित की तारीख को ही जमा राशि की तारीख माना जाता है न कि करदाता के डेबिट हुई राशि की वास्तविक तारीख।
- यदि इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में कोई गड़बड़ी देखी जाती है, तो पंजीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से इस मामले में अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले अधिकारी को सूचित करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में परिलक्षित राशि के उपयोग के तरीके (Manner of Utilization of Amount Reflected in Electronic Cash Ledger)

अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (3) में निम्नलिखित निर्धारित करती है :

इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में प्रतिबिंबित राशि का उपयोग निर्धारित तरीके से कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य राशि के प्रति भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

खाताबही में, जानकारी के प्रमुख मुख्य शीर्ष के लिए लघु शीर्ष में रखा जाता है। खाताबही को मुख्य शीर्ष के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है जैसे IGST, CGST, SGST/UTGST तथा उपकर (CESS)। प्रत्येक मुख्य शीर्ष पाँच लघु शीर्ष में विभाजित हैं : ब्याज, जुर्माना, शुल्क तथा अन्य।

एक पंजीकृत करदाता मान्यता प्राप्त बैंक में निर्धारित तरीके के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नकद खाताबही में GST पोर्टल द्वारा स्वीकृत ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम का प्रयोग करके नकदी जमा कर सकता है। जमा किए गये नकद का प्रयोग कर दायित्व, ब्याज, दण्ड, शुल्क या किसी अन्य जैसे भुगतानों को करने के लिए किया जा सकता है।

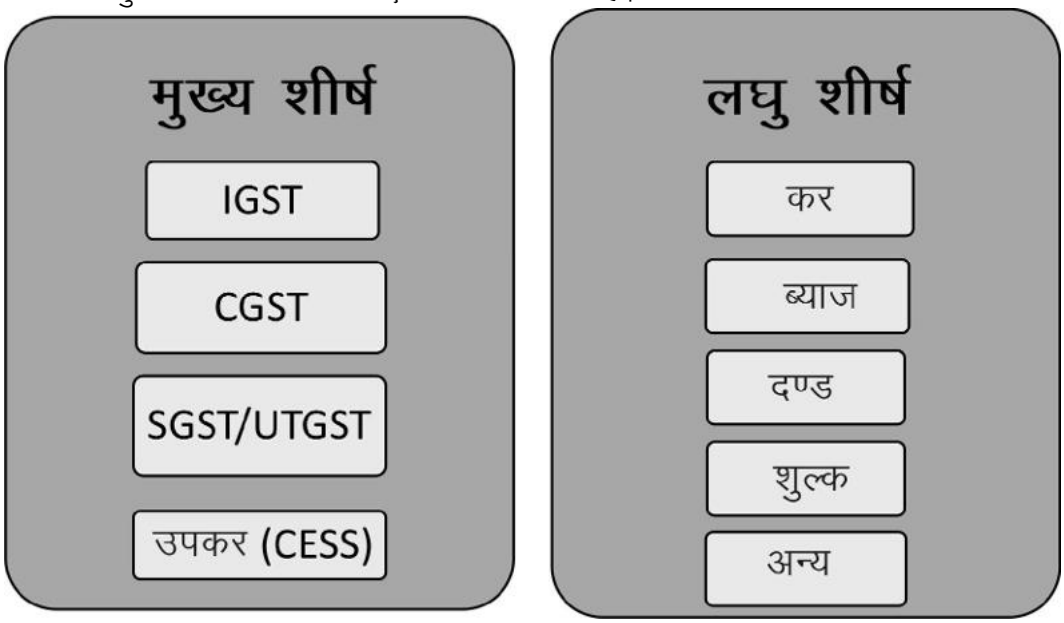

© The Institute of Chartered Accountants of India

B. इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही (Electronic Credit Ledger) **(धारा 49 (2), (4) तथा (5) धारा 49A, धारा 49B CGST नियम 86 एवं धारा 88A के साथ पढ़ते हुए)**

CGST अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्वतः निर्धारित **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)** उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा या इलेक्ट्रॉनिक इनपुट कर जमा खाता में जमा करा दिया जाएगा। यह निर्धारित रूप में अनुरक्षित की जाएगी।

मासिक विवरणी में स्वतः निर्धारित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) खाताबही में दिखाया जाएगा। इस खाताबही में जमा के प्रयोग केवल कर के भुगतान के लिए किया जाएगा तथा अन्य राशि जैसे ब्याज, दण्ड, शुल्क, इत्यादि के लिए नहीं।

- **रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत कर देनदारी के लिए ITC का गैर उपयोग**

  इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता में उपलब्ध राशि का उपयोग CGST अथवा IGST के तहत आउटपुट टैक्स के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादन कर का अर्थ करदाता के सम्बन्ध में उसके या उसके एजेंट द्वारा माल की आपूर्ति या दी गयी सेवाओं से है पर ये रिवर्स चार्ज आधार पर देय कर को बाहर करता है। लिहाजा, ITC का उपयोग रिवर्स चार्ज आधार के तहत देय कर के लिए नहीं किया जा सकता है।

- **ITC उपयोग के तरीके [धारा 49(5), 49A, 49B नियम, 88A और परिपत्र संख्या 98/17/2019 GST दिनांक 23.4.2019 का संयुक्त वाचन]**[1]

  - **इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता में IGST शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का प्रयोग पहले IGST के भुगतान के लिए किया जायेगा।**
    - ✓ **बची हुई राशि यदि कोई है। किसी भी क्रम या और किसी भी अनुपात में CGST और SGST/UTGST के भुगतान के लिए उपयोग की जा सकती है, IGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का उपयोग CGST या SGST के लिए भी किया जा सकता है।**
  - **CGST या SGST/UTGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का उपयोग करने से पहले IGST की पूरी ITC का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।**
  - उपलब्ध CGST क्रेडिट का उपयोग पहले CGST के भुगतान के लिए किया जाएगा।
    - ✓ बची हुई राशि यदि कोई है, तो उसका उपयोग IGST के भुगतान के लिए किया जाएगा।
  - जमा खाते में उपलब्ध SGST/UTGST क्रेडिट (जमा) का उपयोग सबसे पहले SGST/UTGST के भुगतान के लिए किया जाएगा।
    - ✓ बची हुई राशि यदि कोई है, तो उसका उपयोग IGST के भुगतान के लिए किया जाएगा, परन्तु तभी जब CGST क्रेडिट (जमा) **IGST के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं होगा।**

- **SGST/UTGST के भुगतान के लिए** CGST क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार, SGST/UTGST क्रेडिट (जमा) का उपयोग CGST के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता।

[1] अध्याय- 6: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में विस्तृत प्रावधानों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

Common Points for Electronic Cash & Credit Ledger

- जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक नकद या जमा (क्रेडिट) खाते से किसी भी राशि के वापसी का दावा करता है, तभी उक्त राशि को इलेक्ट्रॉनिक नकद या जमा (क्रेडिट) से नामे (डेबिट) किया जाएगा।
- यदि राशि के वापसी का दावा पूरी तरह से या आंशिक रूप से खारिज हो जाता है, तो अस्वीकृति सीमा तक खारिज की गई राशि, इलेक्ट्रॉनिक नकद या जमा (क्रेडिट) खाते में उचित अधिकारी।

C. इलेक्ट्रॉनिक देयता खाता रजिस्टर [धारा 49 (7), (8) तथा (9) को CGST नियम 85 के साथ पढ़ें]

धारा 49 की उप–धारा (7) करदाता को तीसरे प्रकार की खाताबही अर्थात् **इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर** को अनुरक्षित करने के बारे में बताती है। "इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर" और 'इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर' शब्दों को अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जबकि "इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर" शब्द परिभाषित नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक देयता खाता किसी विशेष महीने के लिए करदाता की कुल कर देयता (समायोजित के बाद) को प्रतिबिंबित करेगा।

कर और अन्य बकाया के निर्वहन का क्रम (Order of discharge of tax and other dues)

उप–धारा (8) उस कालानुक्रमिक को निर्धारित करती है। जिसमें करदाता के दायित्व का निर्वहन किया जाना है :

- पहले गत कर अवधि के लिए स्वतः निर्धारित कर तथा अन्य ऋणों का संपादन किया जाएगा।
- उसके बाद वर्तमान, अवधि के लिए स्वतः निर्धारित कर तथा अन्य ऋणों का संपादन किया जाएगा।
- एक बार इन दो चरणों के समाप्त हो जाने के बाद धारा 73 या धारा 74 के अन्तर्गत निर्धारित माँग सहित किसी अन्य राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, डिमांड नोटिस या निर्णय के कार्यवाही से उत्पन्न दायित्व का सबसे बाद में निर्वहन किया जाएगा। इस क्रम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

उपर्युक्त अभिव्यक्ति "अन्य ऋणों" से आशय अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत ब्याज, दण्ड, शुल्क या किसी अन्य राशि का भुगतान है।

संभावना है कि कर का भार निम्न पर हस्तान्तरित किया जाता है

उप–धारा 9 में एक माननीय खण्ड शामिल है। धारा का यह भाग बताता है कि जब एक कर योग्य व्यक्ति ने संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत जी. एस. टी. का भुगतान किया है, कर योग्य व्यक्ति द्वारा उस कर का भुगतान का भार उस माल तथा/या सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर हस्तान्तरित माना जाएगा। अतः, यदि सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अन्तर्गत कर का भुगतान किया है, तो कर योग्य व्यक्ति द्वारा सी. जी. एस. टी. के ऐसे भुगतान के भार को प्राप्तकर्ता पर हस्तान्तरित माना जाएगा। यह साबित होने के विपरीत है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

CGST नियमों का अध्याय IX निम्नलिखित प्रदान करता है :

(I) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में डेबिट :

- दाखिल विवरणी के अनुसार कर, ब्याज, विलम्ब शुल्क तथा किसी अन्य राशि के प्रति देय सभी राशि
- आकलन प्राधिकरण द्वारा या कर योग्य व्यक्ति द्वारा सुनिश्चित कार्यवाही में कर, ब्याज, दण्ड तथा किसी भी अन्य राशि के प्रति देय सभी राशि
- बेमेल (असंतुलन) के परिणामस्वरूप कर तथा ब्याज की राशि
- समय–समय पर उत्पन्न होने वाली कोई ब्याज की राशि

(II) इलेक्ट्रॉनिक जमा/नकदी खाताबही में डेबिट (Debit) :

इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में नामे तथा इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा	**इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में नामे तथा इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जमा**
धारा 49 के अधीन उसकी विवरणी के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति के सभी दायित्वों का भुगतान	धारा 49 के अधीन उसकी विवरणी के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति के सभी दायित्वों का भुगतान
	धारा 51 के अन्तर्गत कटौती किये गये TDS, धारा 52 के अन्तर्गत ई–कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कटौती किये गये TCS का भुगतान, रिवर्स चार्ज के आधार के अन्तर्गत देय राशि, धारा 10 के अन्तर्गत देय राशि, अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज, दण्ड, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के प्रति देय राशि

नयी भुगतान प्रणाली कर दाता तथा वाणिज्यिक कर विभाग को कैसे लाभ देती है?

- जैसे कि भुगतान ऑनलाइन 24×7 किया जाता है तो भुगतान के लिए कोई इंतजार तथा कतार नहीं होगी।
- ऑनलाइन भुगतान करने पर तुरंत ऑनलाइन रसीदें।
- कर परामर्शदाता ग्राहकों की ओर से भुगतान कर सकते हैं।
- ऑनलाइन बनाने के लिए एकल चालान फार्म, चालान की तीन या चार प्रतियों के स्थान पर।
- पुरानी व्यवस्था की तुलना में राजस्व पहले सरकारी निधि में आएगा।
- अधिक पारदर्शिता।
- शाम को 8 बजे के बाद किया गया ऑनलाइन भुगतान उसी दिन कर दाता के खाते में क्रेडिट हो जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

4. कर के देरी से भुगतान पर ब्याज (धारा 50) (Interest on Delayed Payment of Tax [Section 50])

वैधानिक प्रावधान

धारा 50	कर के देरी से भुगतान पर ब्याज
उप–धारा	**विवरण**
(1)	इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसका कोई भाग देने में असफल होता है, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना के रूप में, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अपने–आप, ऐसी दर पर ब्याज, 18% से अधिक का भुगतान नहीं करेगा।
(2)	उप–धारा (1) के तहत ब्याज की गणना की जाएगी, जिस दिन से इस तरह से कर का भुगतान किया जाना था उसके अगले दिन से, उसी तरह से की जाएगी जिस तरह से निर्धारित हैं।
(3)	एक कर योग्य व्यक्ति जो धारा 42 की उप–धारा (10) के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अतिरिक्त दावा या धारा 43 की उप–धारा (10) के अन्तर्गत बाह्य कर दायित्व में अनुचित या अतिरिक्त कमी करता है, उस अनुचित या अतिरिक्त दावे या अनुचित या अतिरिक्त कमी पर, जैसा भी मामला हो, ऐसी ब्याज की दर से जो चौबीस प्रतिशत (24%) से कम ना हो, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना के रूप में, ब्याज का भुगतान करेगा।

विश्लेषण (Analysis)

ब्याज कब देय है ? (When Interest is payable ?)

ब्याज निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में दिया जाएगा :

- निर्धारित अवधि के भीतर कर के भुगतान में देरी, पूर्णतः या आंशिक रूप में
- धारा 42 (10) के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित या अतिरिक्त दावा
- धारा 43 (10) के अन्तर्गत बाह्य कर दायित्व (Output tax liability) में अनुचित या अतिरिक्त कमी

⇒ सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 42 (10) प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के मिलान के प्रावधानों के उल्लघंन से सम्बन्धित है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

⇒ सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 43(10) आपूर्तिकर्ता द्वारा बाह्य कर दायित्व के दावों के मिलान के प्रावधानों के उल्लंघन से सम्बन्धित है।

- **ब्याज की दर** (Rate of Interest)

  ब्याज की दर परिषद् की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। तथापि, ऐसी अधिसूचित होने वाली दर अधिक नहीं होनी चाहिए–

  (a) 18% सरकार के खाते में कर के विलम्बित भुगतान अर्थात् कर (या कर का भाग) का भुगतान करने में विफलता पर/अधिसूचना संख्या 13/2017 सी.टी. दिनांक 28.06.2017 ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष के रूप में अधिसूचित करेगी।

  (b) 24% ITC के अनुचित या अतिरिक्त दावों या बाह्य कर दायित्व में वह अनुचित या अतिरिक्त कमी पर/अधिसूचना संख्या 13/2017 सी.टी. दिनांक 28.06.2017 को ब्याज की दर 24% प्रति वर्ष के रूप में अधिसूचित करेगी।

- **ब्याज की गणना करने के लिए अवधि का अभिकलन** (Computation of period for calculation of interest)

  ब्याज की अवधि कर के भुगतान की देय तिथि के बाद की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि के लिए होगी।

- **ब्याज के सम्बन्ध में अन्य मुख्य बिन्दु**

  - यह "कर" शब्द का आशय अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत देय कर।
  - कर के विलंबित भुगतान के मामले में ब्याज का भुगतान स्वेच्छापूर्वक से किया जाना चाहिए अर्थात् बिना माँग के भी।
  - इस धारा के अन्तर्गत देय ब्याज इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में नामे (Debit) की जाएगी।
  - ब्याज का दायित्व इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही के शेष के साथ समायोजन द्वारा चुकाया जा सकता है **लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही के शेष के साथ नहीं।**

5. इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्थानान्तरण (CGST अधिनियम की धारा 53 तथा IGST अधिनियम की धारा 18] [Transfer of Input Tax Credit (Section 53 of CGST Act and Section 18 of IGST Act)]

यदि CGST की राशि IGST के बकाए के लिए उपयोग की जाती है, तो CGST अधिनियम की धारा 53 के सन्दर्भ में, उपयोग किए गये क्रेडिट के बराबर CGST की राशि कम होती और केन्द्र सरकार CGST खाते में कम की गई राशि के बराबर राशि को SGST खाते में हस्तांतरित करेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उसी तरह यदि IGST की राशि CGST/UTGST के बकाए के लिए उपयोग की जाती है, तो, IGST अधिनियम की धारा 18 के सन्दर्भ में, उपयोग किए गए क्रेडिट के बराबर, IGST की राशि कम होगी और केन्द्र सरकार IGST खाते में कम की गई राशि के बराबर राशि को SGST/UTGST खाते में हस्तांतरित करेगी।

हालांकि, यदि IGST की राशि SGST के बकाये के लिए उपयोग की जाती है, तो अधिनियम की धारा 18 के सन्दर्भ में, उपयोग किए गए क्रेडिट के बराबर IGST की राशि कम होगी और उपयुक्त राज्य सरकार को अपील की जाएगी और केन्द्र सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकार के खाते में जमा की गई राशि को हस्तांतरित करेगी।

6. आओ पुनरावृत्ति करें (Let us Recapitulate)

कर, ब्याज और अन्य राशियों के भुगतान से सम्बन्धित प्रावधान एक बेहतर और प्रभावी तरीके से छात्रों को प्रावधानों को याद रखने तथा बनाए रखने में मदद करने के लिए तालिका तथा चलचित्रों के माध्यम से संक्षेप से दिये गये हैं :

कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ (Definitions of Certain Key Terms)

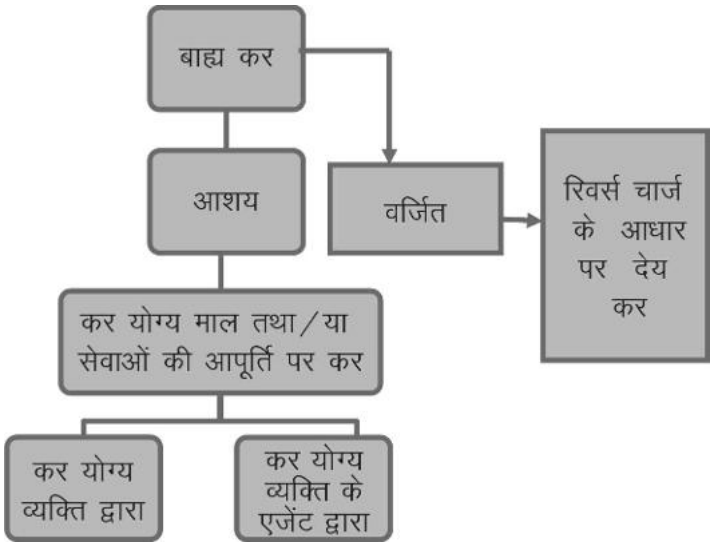

© The Institute of Chartered Accountants of India

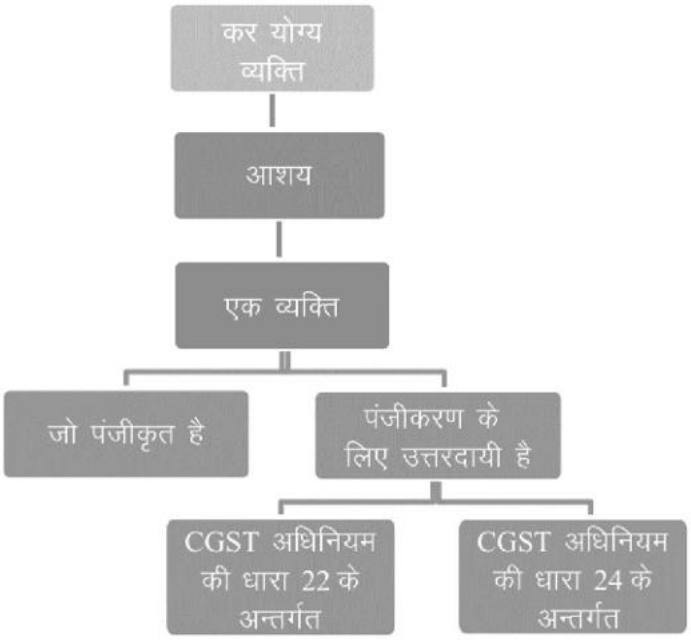

GST शासन के लिए भुगतान (Payments to be made in GST regime)

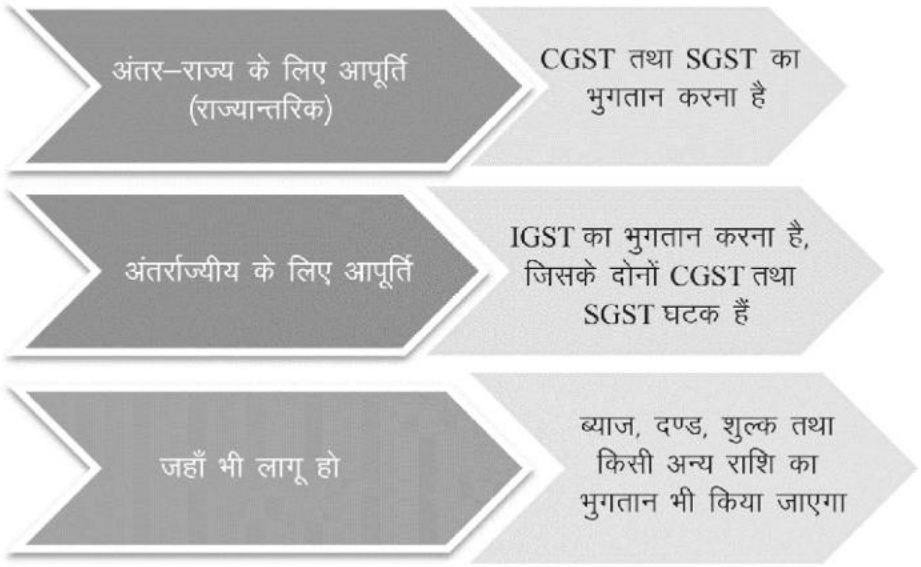

© The Institute of Chartered Accountants of India

भुगतान प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएँ (Key features of Payment Process)

- भुगतान के सभी तरीकों में जी.एस.टी.एन. पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से चालान जारी किया जाएगा तथा मैन्युअल रूप (Mannual Prepared) से तैयार चालान का उपयोग नहीं होगा;
- करदाता के लिए कहीं भी परेशानी मुक्त, कभी भी, कहीं भी भुगतान करके करदाता के लिए सुविधा;
- ऑनलाइन भुगतान करने में सुविधा;
- इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में तार्किक कर संग्रहण डेटा;
- सरकार के खाते में कर राजस्व का तेजी से प्रेषण;
- कागज रहित लेन–देन;
- शीघ्रता से लेखांकन तथा रिपोर्टिंग;
- सभी रसीदों का इलेक्ट्रॉनिक समाधान;
- बैंकों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया
- डिजिटल चालानों का भण्डारग्रहण

ई–खाताबहियाँ/रजिस्टर क्या हैं ? (What are E-ledgers/Register?)

इलेक्ट्रॉनिक खाताबहियाँ या ई–खाताबहियाँ प्रत्येक पंजीकृत करदाता के सम्बन्ध में नकदी तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक करदाता के पास एक इलेक्ट्रॉनिक कर दायित्व रजिस्टर भी होगा।

इलेक्ट्रॉनिक खाताबहियों के प्रकार (Types of Electronic ledgers)

© The Institute of Chartered Accountants of India

A. इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही (Electronic cash ledger)

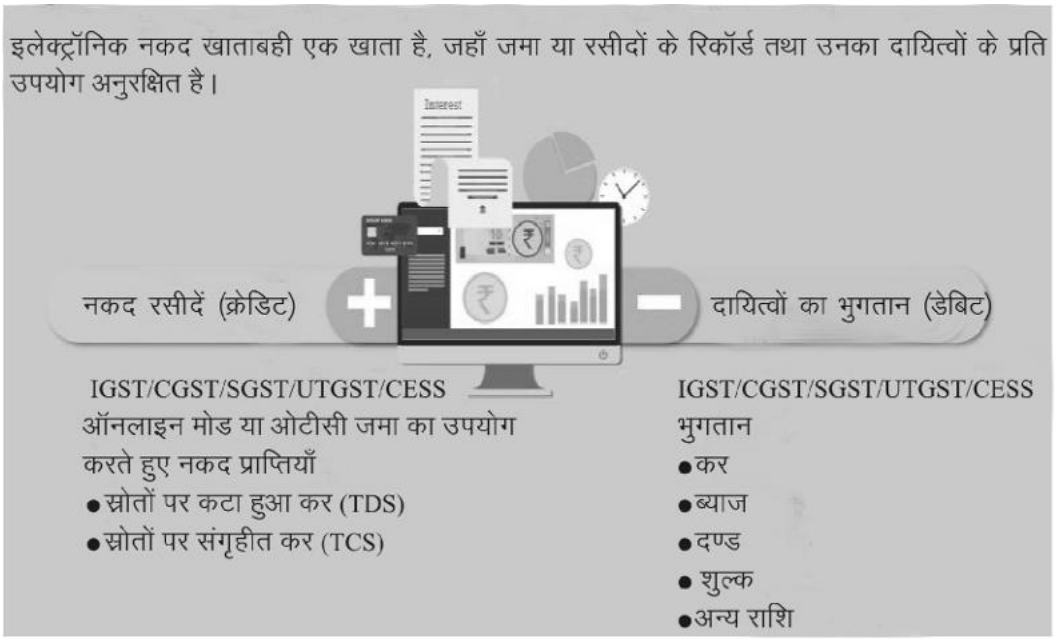

इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में जमा के तरीके (Modes of Deposit in Electronic Cash ledger)

© The Institute of Chartered Accountants of India

भुगतान के मुख्य तथा लघु शीर्ष (Major & Minor head of Payment)

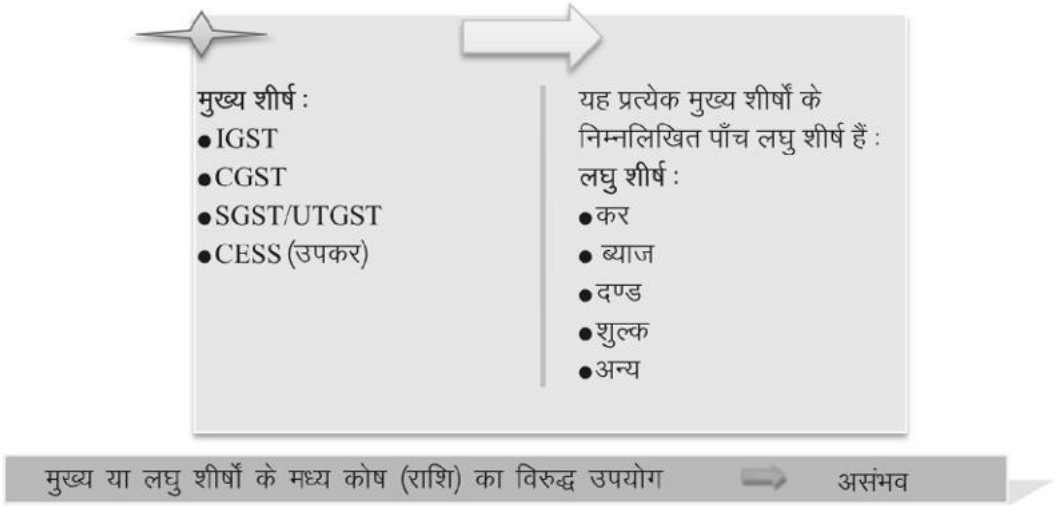

देय कर के जमा की तिथि (Date of Deposit of Tax dues)

कौन–सी तिथि को देय कर जमा करने की तिथि माना जाएगा ?		
(i)	चेक की प्रस्तुति की तारीख	×
(ii)	भुगतान की तारीख	×
(iii)	सरकार के खाते में जमा होने की तारीख	✓

B. इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही (Electronic Credit ledger)

इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का क्रम

ITC	**उपयोग का क्रम**	
	(1)	(2)
IGST	IGST	CGST/SGST/UTGST कोई भाग
IGST की ITC पूरी तरह से अनिवार्य रूप से समाप्त हो गयी है		
CGST	CGST	IGST
CGST की ITC का पूर्ण उपयोग कर लिया		
SGST/UTGST	SGST/UTGST	IGST

CGST क्रेडिट का प्रयोग SGST/UTGST के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।
SGST/UTGST क्रेडिट का प्रयोग CGST के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

C. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर (Electronic Liability Register)

कर योग्य व्यक्ति के दायित्व से छूट का क्रम

© The Institute of Chartered Accountants of India

भुगतान करने का तरीका (Manner of Making payment)

इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही के नामे द्वारा	**नकदी में, इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही में नामे (Debit) द्वारा**
सामान्य पोर्टल पर अनुरक्षित करदाता की जमा खाताबही में डेबिट द्वारा–केवल कर का भुगतान किया जा सकता है।	भुगतान नकदी में किया जा सकता है, सामान्य पोर्टल पर अनुरक्षित करदाता की नकदी खाताबही में नामे द्वारा

ई–खाताबहियाँ (E-ledgers/Register)

इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही	• यह नकदी में किये गये सभी जमा, तथा करदाता के वास्ते किये गये टीडीएस/टी. सी. एस. को दर्शाएगा। • इस खाताबही का प्रयोग GST के वास्ते कर, ब्याज, दण्ड, शुल्क किसी अन्य राशि के प्रति किसी भुगतान के लिए किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही	• यह मासिक विवरणी में स्वतः निर्धारित के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट को दर्शाएगा। • इस खाताबही में जमा का प्रयोग केवल कर के भुगतान के लिए किया जाएगा अर्थात बाह्य कर तथा अन्य राशि जैसे ब्याज, दण्ड, शुल्क इत्यादि नहीं।
इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर	• इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर निर्धारित माह के लिए (समझौते के बाद) करदाता के कुल कर दायित्व दर्शाएगा।

कर के भुगतान में विलम्ब पर ब्याज (धारा 50) [(Interest on delayed payment of tax (Section 50)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

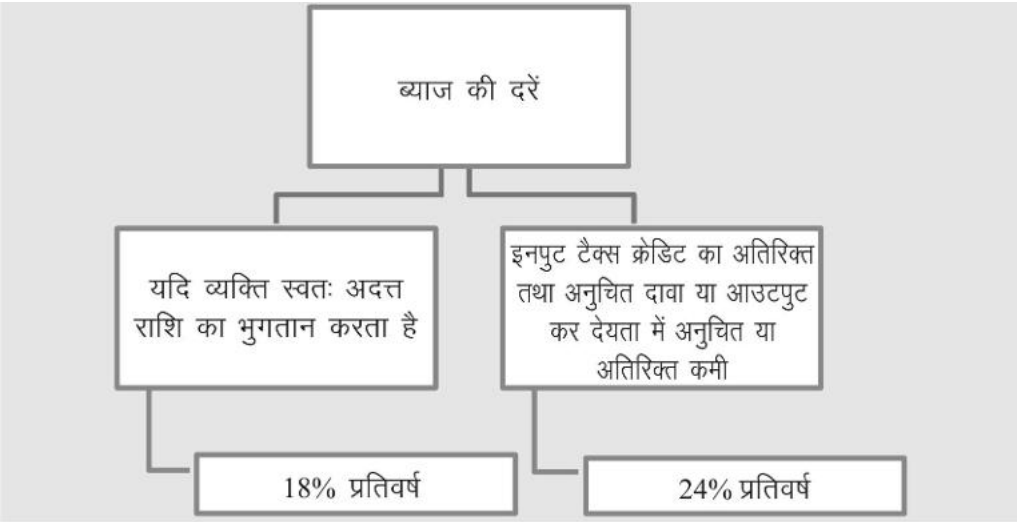

कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक खातावही द्वारा (Payment of Tax by Electronic Ledger)

A. इलेक्ट्रॉनिक नकदी खातावही (Electronic Cash Ledger)

(सरलता से समझने के लिए, इसे बैंक द्वारा किया गया खाता विवरण माना जाएगा)

नामे राशि (DR)	जमा राशि (CR)
• इस खातावही की जमा राशि का प्रयोग कर, ब्याज, शुल्क इत्यादि के भुगतान के लिए किया जा सकता है।	• इन्टरनेट बैंकिंग, RTGS, कोष हस्तान्तरण के द्वारा कर, ब्याज, दण्ड, विलम्ब शुल्क इत्यादि के प्रति कोई जमा
• उपर्युक्त कर इत्यादि के भुगतान के बाद शेष जमा राशि कर योग्य व्यक्ति को वापस की जाएगी।	• TDS/TCS का मुआवजा (claimed)

B. इलेक्ट्रॉनिक जमा खातावही (Electronic credit ledger)

नामे राशि (DR)	जमा राशि (CR)
• इस खातावही में जमा राशि का प्रयोग निर्धारित क्रम से बाह्य कर के भुगतान के लिए जो है। IGST, CGST, SGST, UTGST	• स्वतः निर्धारण के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट विवरणी में IGST, CGST, SGST, UTGST के रूप में

© The Institute of Chartered Accountants of India

C. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर (Electronic Liability Register)

नामे राशि (DR)	जमा राशि (CR)
• कर, ब्याज, शुल्क इत्यादि के प्रति देय राशि	• इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही
• बेमेल के कारण देय कर या ब्याज	
• कोई अन्य देय राशि	
• बाह्य कर के प्रति देय राशि	• इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही

इनपुट टैक्स क्रेडिट का हस्तांतरण (CGST अधिनियम की धारा 53 तथा IGST अधिनियम की धारा 18) [Transfer of input tax credit (Section 53 of CGST Act & Section 18 of IGST Act)]

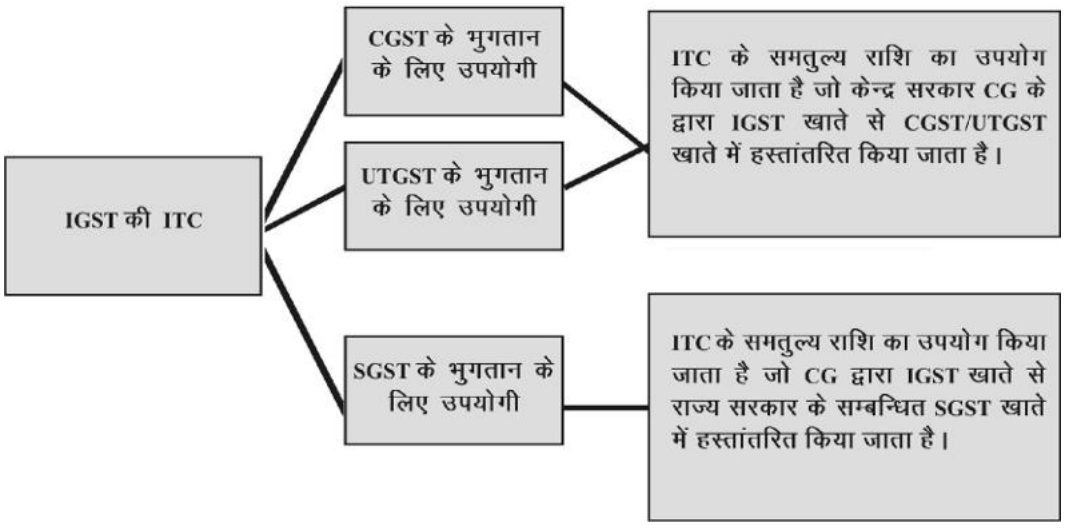

© The Institute of Chartered Accountants of India

7. आपके ज्ञान का परीक्षण (Test Your Knowledge)

1. इनमें से कौन–सी, इलेक्ट्रॉनिक खाताबही को ऑनलाइन अनुरक्षित किया जाता है?
   (a) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर
   (b) इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही
   (c) इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही
   (d) उपर्युक्त सभी
2. कर, दण्ड, ब्याज, शुल्क या किसी अन्य राशि के प्रति जमा कर योग्य व्यक्ति के में जमा की जाती है।
   (a) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर
   (b) इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही
   (c) इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही
   (d) उपर्युक्त सभी
3. स्वतः निर्धारित के रूप में पंजीकृत व्यक्ति की विवरणी में इनपुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित में से किस खाताबही में जमा होगा?
   (a) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर
   (b) इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही
   (c) इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही
   (d) उपर्युक्त सभी
4. निम्नलिखित में से किस मद को इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में नामे किया जाएगा?
   (a) आउटपुट कर
   (b) ब्याज
   (c) दण्ड
   (d) उपर्युक्त सभी
5. SGST के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही में शेष राशि को किस दायित्व के अधीन प्रयोग किया जाएगा?
   (a) केवल SGST दायित्व
   (b) SGST तथा IGST दायित्व
   (c) SGST, IGST तथा IGST दायित्व
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. किस इनपुट टैक्स क्रेडिट का किस आउटपुट कर दायित्व के अधीन दावा नहीं किया जा सकता?

   (a) IGST, SGST

   (b) CGST, IGST

   (c) SGST, IGST

   (d) CGST, SGST

7. ब्याज पर देय है–

   (a) कर के विलंबित भुगतान

   (b) इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुचित/अतिरिक्त दावे

   (c) आउटपुट कर दायित्व में अनुचित/अतिरिक्त कमी

   (d) उपर्युक्त सभी

8. निम्नलिखित में से कौन–सा दायित्व CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधीन समायोजित नहीं किया जा सकता है?

   (a) IGST

   (b) SGST/ UTGST

   (c) उपर्युक्त सभी

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. जब कर योग्य व्यक्ति के दायित्व का भार हटाया जाता है, निम्नलिखित में से किस भार को पहले मुक्त किया जाएगा?

   (a) गत् कर अवधि से सम्बन्धित समस्त देय राशि

   (b) वर्तमान कर अवधि से सम्बन्धित समस्त देय राशि

   (c) धारा 73 तथा 74 के अन्तर्गत स्थापित माँग

   (d) ऐसी कोई शर्त अनिवार्य नहीं है

10. ब्याज का मूल्यांकन होता है–

   (a) जब कर का भुगतान देय है उस दिन के अगले दिन से

   (b) जब इस देय कर का भुगतान होगा उसके आखिरी दिन से

   (c) कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

© The Institute of Chartered Accountants of India

11. निम्नलिखित से कौन–सा कथन सत्य है : कौन–सी तिथि को देय कर जमा करने की तिथि माना जाएगा

    (a) चेक की प्रस्तुति की तारीख या

    (b) भुगतान की तारीख या

    (c) सरकार के खाते में जमा की तारीख

12. यहां इलेक्ट्रॉनिक खाता बही/रजिस्टर के कितने प्रकार हैं?

13. GST भुगतान प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

14. निम्नलिखित शब्दों को संक्षेप में समझाएँ :

    (a) ई–एफ. पी. बी. (E-FPB)

    (b) सी. पी. आई. एन. (CPIN)

    (c) सी. आई. एन. (C1N)

15. क्या GST के अन्तर्गत किये गये भुगतान के लिए अनुचित संवर्धन का सिद्धान्त लागू होगा?

16. जीएसटी के तहत आउटपुट कर का नाम बताएँ, जहाँ जी. एस. टी. के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रयोग किया जा सकता है?

8. उत्तर/संकेत (Answer/Hints)

1. (d) **2.** (c) **3.** (b) **4.** (a) **5.** (b) **6.** (d) **7.** (d)

8. (b) **9.** (a) **10.** (a) **11.** (c)

12. (a) इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही

(b) इलेक्ट्रॉनिक जमा खाताबही

(c) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर।

13. अनुच्छेद देखें– इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर

14. अनुच्छेद देखें–इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाताबही

15. हाँ, CGST अधिनियम, 2017 की धारा 49 (9) के अनुसार, इस अधिनियम के अन्तर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करेगा, जब तक उसके द्वारा इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता, उस माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर उस कर का पूरा भार पारित माना जाएगा।

16. IGST, CGST, SGST, UTGST अर्थात् सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रयोग आउटपुट कर दायित्व के अधीन किये जा सकते हैं, जिसे IGST कहा जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के तहत संशोधनों को देखें

वित्त (संख्या 2) अधिनियिम, 2019 01.08.2019 से प्रभावी हो गया है। हालांकि CGST अधिनियम और IGST अधिनियम में किए गए संशोधन वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 में संशोधन करते हैं, केवल आधिकारिक राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से प्रभावी हो जाते हैं। इस तरह की अधिसूचना तब तक जारी नहीं की गई है जब तक यह अध्ययन सामग्री छपाई के लिए जारी नहीं की जाती है।

इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही मई 2020 और/या नवंबर 2020 परीक्षाओं के लिए इस तरह के संशोधनों की प्रयोज्यता या अन्यथा घोषणा की जाएगी।

नीचे दी गई तालिका में, कर के भुगतान से संबंधित मौजूदा प्रावधान[3] की तुलना वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित प्रावधानों के साथ की गई है।

एक बार परीक्षा के लिए ऐसे संशोधनों की प्रयोज्यता की घोषणा ICAI द्वारा की जाती है, छात्रों को अध्याय में चर्चा किए गए संबंधित प्रावधानों के स्थान पर दिए गए प्रावधानों को पढ़ना चाहिए।

धारा संख्या	मौजूदा प्रावधान	वित्त (2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित प्रावधान	टिप्पणियाँ
49		**धारा 49 की उपधारा (9) के बाद निम्न उपधारा (10) और (11) डाली जाएगी :** ''(10) एक पंजीकृत व्यक्ति, आम पोर्टल पर कर, ब्याज, जुर्माना शुल्क या इस अधिनियम के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य राशि को एकीकृत का केन्द्रीय कर के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में हस्तांतरित कर सकता है। राज्य कर, केन्द्रशासित प्रदेश कर या उपकर, इस तरह के रूप और तरीके और ऐसी स्थितियों और प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। ''(11) जहां किसी भी राशि को इस अधिनियम के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता को हस्तांतरित कर	CGST अधिनियम की धारा 49 में नई उपधाराएं डाली जा रही हैं। जिसमें पंजीकृत व्यक्ति को एक राशि के लिए एक (मेजर/माइनर) इलेक्ट्रॉनिक कैश में दूसरे (मेजर/माइनर) हेड को खाताबही में हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान की गई है।

[3] Provisions existing as on the date when the Study Material was released for printing

© The Institute of Chartered Accountants of India

		दिया गया है। इसे उपधारा (1) में दिए गए अनुसार उक्त बहीखाता में जमा किया माना जाएगा :	
50	**उपधारा (1)** प्रत्येक व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है इस अधिनियम के प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियम लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या कोई भी हिस्सा अतिदेय रहता है, भुगतान, अपने दम पर, ऐसी दर पर ब्याज, 18% से अधिक नहीं, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।	**उपधारा (1)** प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या कोई इस भाग में भुगतान नहीं किया गया है, भुगतान, अपने दम पर, ऐसी दर पर ब्याज, 18% से अधिक नहीं, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। बशर्ते कि कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के संबंध में कर पर देय ब्याज और धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार नियत तारीख के बाद सुसज्जित उक्त अवधि के बदले में घोषित किया जाता है, सिवाय इसके कि किसी कार्यवाही के शुरू होने के बाद इस तरह के रिटर्न सुसज्जित किया जाए उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के तहत, कर के उस हिस्से पर लगाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही से भुगतान किया जाता है।	CGST अधिनियम की धारा 50(1) में नया प्रावधान डाला जा रहा है ताकि कुल कैश करदेयता पर ब्याज दिया जा सके, उन मामलों को छोड़कर जहां CGST अधिनियम की धारा 73 और 74 के तहत कोई कार्यवाही शुरू करने के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

53A		**नई धारा 53A : ''कुछ राशियों का स्थानांतरण'' धारा 53 के बाद डाला गया** जहां इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता से राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाता से कोई राशि हस्तांतरित की गई है, सरकार राज्य कर खाते या संघ को हस्तांतरित करेगी। क्षेत्र कर खाता इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही से हस्तांतरित राशि के बराबर राशि, ऐसे तरीके से और ऐसे समय के भीतर जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।''	सीजीएसटी अधिनियम में एक नई धारा 53A सम्मिलित की जा रही है, ताकि केन्द्र और राज्यों के बीच राशि के हस्तांतरण के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49 में संशोधन किया जा सके, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कैश बहीखाता में एक सिर से दूसरे सिर तक राशि हस्तांतरित हो सके।

© The Institute of Chartered Accountants of India